



हमारे स्वयं विशाल होने चाहिए। हमारी महत्वकांक्षा ऊंची होनी चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता गहरी होनी चाहिए और हमारे प्रयत्न बड़े होने चाहिए। भारत के लिए यही मेरा सपना है।

—धीरुभाई अंबानी

जिद... सच की



नए कसान के साथ विजयी शुरुआत करने... 7 | संसद से लेकर सड़क तक फिर... 3 | योगी सरकार के 8 साल पूरे, विपक्ष... 2 |

जस्टिस वर्मा के तबादले के लेकर वकीलों का संग्राम

- » इलाहाबाद हाईकोर्ट में अनिश्चितकालीन हड़ताल
- » वकील बोले- इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं
- » पब्लिक सर्वेंट और राजनेता की तरह ही जस्टिस वर्मा का भी ट्रायल होना चाहिए

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादले पर इलाहाबाद के वकीलों का गुरस्सा सांतवे आसमान पहुंच गया है। कोलेजियम के इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट के सभी वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं। इस दौरान वकीलों ने किसी भी केस की सुनवाई में हाजिर होने से इनकार कर दिया है।

बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप कर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल तिवारी ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। बार एसोसिएशन की आपात बैठक में सभी वकीलों ने एक स्वर में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कड़ेदान नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को यहां न्याय देने के लिए भेजा जाए।

जस्टिस वर्मा का मूलकोर्ट में तबादला

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला उनके मूल हाईकोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय में करने की सिफारिश की है। ये सिफारिश ऐसे समय में आई है, जब उनके सरकारी बंगले में आग लगने के बाद वहां भारी मात्रा में नकदी मिली। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के फैसले के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में नाराजगी फैल गयी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने उनके ट्रांसफर पर कड़ा एतराज जताते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं भेजने की अपील की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाने पर मध्य कोहराम

मेरे खिलाफ एयी गयी साजिश : यशवंत वर्मा

जस्टिस यशवंत वर्मा ने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया है और जिस स्टोर रुम में पैरे रखे गिले हैं उससे पल्ला जाइ लिया है। यहां नहीं फायर सर्विस के गुच्छियों में भी 21 मार्च को बयान जारी कर कर कि न्यायाधीश के घर से कोई पैसा नहीं मिला है। जबकि फायर सर्विस के जिन सिपाहियों को सबसे पहले पैसे दिखे उन पांच सिपाहियों के मोबाइल फोन जमा करवाये जा रहे हैं जोकि सीजीआई की जांच के अहम दस्तावेज हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि उस स्टोर रुम को उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया।



बोले उपराष्ट्रपति



राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार है जब मुख्य न्यायाधीश ने सभी सामग्री को सार्वजनिक डोमेन में डाला है। उन्होंने न्यायालिका की इन-हाउस प्रतिक्रिया को 'सही दिशा में उतारा गया कदम' बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खंशा द्वारा एक समिति का गठन और उनके द्वारा दिखाई गई सतर्कता को भी विचार में लिया जाना चाहिए। न्यायालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं तभी आपना उद्देश्य अच्छे से निभा सकती हैं, जब उनका इन-हाउस तंत्र प्रभावी, त्वरित और जनता का विश्वास बनाए रखने वाला हो।

ट्रेड यूनियन ने भी हड़ताल का किया समर्थन

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला होने पर भयंकर विवाद चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तबादले के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। ट्रेड यूनियन ने भी इस हड़ताल का समर्थन

किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुबह 10:00 बजे से हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 से विरोध प्रदर्शन शुरू कर हड़ताल कर दी है। वकीलों ने कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने पर बार एसोसिएशन ने कहा है कि सड़कों पर उतरकर

विरोध प्रदर्शन करेंगे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। अनिल तिवारी के आवास पर हुई कार्यकारिणी की बैठक के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला लिया गया।

कॉरपोरेट वकील के तौर पर जस्टिस वर्मा ने शुरू किया था कॉरियर

जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने कैरियर की शुरूआत कारपोरेट वकील के तौर पर की थी। वह उत्तर प्रदेश के स्थाई वकील भी रह चुके हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा 2016 में न्यायाधीश बने और 2021 से वह बिक्रीकर जीएसटी खंडपीठ के नेतृत्व कर रहे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने लीक से हटकर कई फैसले सुनाये। हाल ही में उन्होंने नेटफिलिक्स की सीरीज पर रोक लगाने से मना कर दिया था। यही नहीं उन्होंने शीबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच पर भी रोक लगा थी।

बढ़ रहा है समर्पण

अब यदि जस्टिस यशवंत वर्मा के बायान में सच्चाई है तो यह प्रकरण और ज्यादा पैरोदी हो रहा है। बड़ा सवाल यही है कि एक जज के घर के स्टोर रुम में इतनी नकदी कौन रखा देया? क्या यह सभव है।

